न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री जयसिंह आरएएस

मु0नं0 – 179/2020 (2020/00277)

प्रेमशंकर पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी जनाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। राज0

– वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र देईचन्द जाति जाट निवासी जनाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज0

– असल प्रतिवादी

2. सन्दीप पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी जनाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज0
3. मनदीप पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी जनाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री संजीव कुमार : वादी

वकील श्री योगेश शर्मा : प्रतिवादी सं0 1 ता 3

निर्णय दिनांक : 13/7/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 1 एमआरएन के खाता सं0 14/17 के मु0नं0 39 के किला नं0 2 ता 5 की 1.012 है0, किला नं0 7, 8 की 0.506 है0, किला नं0 13 ता 15 की 0.759 है0 किला नं0 16 ता 18 की 0.684 है0, किला नं0 23 ता 25 की 0.759 है0 कुल 3.8760 है0 मु0नं0 52 के किला नं0 3, 4, 7, 8, 13, 14 की 1.518 है0 कुल किता 21 कुल क्षेत्रफल 5.238 है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दु परिवार के सहदायिक सदस्य है वाद भूमि पैतृक पुस्तैनी कृषि भूमि है जो पूर्व में वादी के मोरूस आला देईराम की खातेदारी हुआ करती थी।

उपरोक्त वर्णित कुल भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 का भी प्रतिवादी सं0 1 के साथ बहिस्सा बराबर का हक बनता है अर्थात् कुल कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का 1/4 हिस्सा, वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 3 का 1/4 हिस्सा है। इस प्रकार वाद कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन [illegible] वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया [illegible] तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 4 पेरोकार [illegible]

साक्ष्य वादी में वादी [illegible] गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यापित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 1 एमआरएन [illegible] सं0 14/17 सम्वत् [illegible] 75 प्रदर्श 1, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खेवट [illegible] ग्राम 1 महराना सम्वत् 2031 से 34 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:13:22 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने जाहिर किया कि वाद कृषि भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है। जिसमें वादी का जन्म से हक अधिकार है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हस्तगत वाद वादी ने चक 1 एमआरएन र के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है की वाद कृषि भूमि पैत्रक पुस्तैनी कृषि भूमि है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम 1 महराना सम्वत् 2031 से 34 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादी के परदादा जोतराम वल्द मेहरचन्द के नाम दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि वादी की दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि होना साबित है। वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 में जगदीश के वारिसान में पत्नि कमला देवी व तीन पुत्र सन्दीप, मनदीप एवं प्रेम शंकर होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 1 एमआरएन के खाता सं0 14/17 के मु0नं0 39 के किला नं0 2 ता 5 की 1.012 है0, किला नं0 7, 8 की 0.506 है0, किला नं0 13 ता 15 की 0.759 है0 किला नं0 16 ता 18 की 0.684 है0, किला नं0 23 ता 25 की 0.759 है0 कुल 3.8760 है0 मु0नं0 52 के किला नं0 3, 4, 7, 8, 13, 14 की 1.518 है0 कुल किता 21 कुल क्षेत्रफल 5.238 है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(जयसिंह) उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:13:22 IST
Reason: SelfAttested